प्रेस नोट - थाना रामचन्द्र मिशन
जनपद शाहजहाँपुर
दिनाँक – 05.06.2026

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रामचन्द्र मिशन के नेतृत्व में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं अपराध में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 03.06.2026 को वादिनी श्रीमती दिव्यांशी पत्नी अखिलेश एवं पुत्री रामस्वरूप निवासी ग्राम गोबरसंडा, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना रामचन्द्र मिशन पर तहरीर दी कि वादिनी ने करीब 04 माह पूर्व अपने प्रथम पति से विवाह विच्छेद होने के उपरांत अखिलेश पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम मानपुर, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर के साथ मंदिर में विवाह किया था। विवाह के उपरांत वादिनी अपने पति एवं परिवार के साथ पंजाब में कालेआम जगह पर निवास करती रही तथा बाद में मो0 तहवरगंज शमशाद पुत्र हबीब के मकान में रहने लगी। अखिलेश द्वारा वादिनी एवं उसकी पुत्री के साथ मारपीट की जाती थी वादिनी के अनुसार दिनांक 04.05.2026 को समय करीब 7 से 8 बजे के मध्य अखिलेश द्वारा उसकी पुत्री प्रिया (उम्र करीब 04 वर्ष) के साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। विरोध करने पर वादिनी के साथ भी मारपीट की गई तथा इलाज के बहाने वादिनी एवं मृतका को चार पहिया वाहन से ग्राम मानपुर, थाना कांट लाया गया, जहां अखिलेश द्वारा अपने पिता सुरेन्द्र एवं माता तारा को बुलाकर अपने खेत में मृतका को करीब 01:00 बजे दफना दिया गया। इसके उपरांत वादिनी को पहले कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद स्थित अपनी बहन रजनी के घर तथा बाद में अम्बाला ले जाया गया। दिनांक 27.05.2026 को वादिनी द्वारा अभियुक्त अखिलेश के फोन से अपने पिता को फोन कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई। सूचना प्राप्त होने पर वादिनी के पिता द्वारा चचेरे भाई सुनील पुत्र वीरपाल निवासी गौवरसंडा थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर को वादिनी को लाने हेतु भेजा गया। तत्पश्चात वादिनी दिनांक 28.05.2026 को अपने पिता के पास रोहतक (हरियाणा) पहुंची तथा दिनांक 29.05.2026 को अपने गांव गोबरसंडा वापस आई। उक्त आरोपों के आधार पर थाना रामचन्द्र मिशन पर मु0अ0सं0 115/26 धारा 103(1),238,115(2) बीएनएस बनाम 1. अखिलेश पुत्र सुरेन्द्र 2. ससुर सुरेन्द्र पुत्र नामालुम 3. सास तारा पत्नी सुरेन्द्र 4. जेठ मुन्ना पुत्र सुरेन्द 5. जेठानी रीता पत्नी मुन्ना 6. देवर सुमित पुत्र सुरेन्द्र 7. अमित पुत्र सुरेन्द्र सर्व निवासीगण ग्राम मानपुर थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर 8. ननद रजनी पत्नी अनुज 9. ननदोई अनुज पुत्र नामालूम निवासीगण कायमगंज जनपद फरुर्खाबाद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

विवेचना के क्रम में रामचन्द्र मिशन पुलिस टीम द्वारा दिनांक 04.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर हरदोई चौराहा से बरेली जाने वाले मार्ग से अभियुक्त 1. अखिलेश पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम मानपुर थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर तथा 2. सुरेन्द्र पुत्र स्व. श्रीराम निवासी ग्राम मानपुर थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर को समय करीब 03:15 बजे नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अभियुक्त अखिलेश का माननीय न्यायालय द्वारा 48 घंटे (02 योम) का पुलिस कस्टडी रिमाण्ड स्वीकृत किया गया। पुलिस कस्टडी रिमाण्ड (पीसीआर) के दौरान अभियुक्त की निशानदेही पर घटनास्थल ग्राम मानपुर, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर स्थित गाटा संख्या 394, रकबा 0.4900 हेक्टेयर पर खुदाई कर मृतका प्रिया का मिनी स्कर्ट व कंकाल का कुछ हिस्सा बरामद हुआ। जिसकी पहचान मौके पर ही मुकदमा वादिनी और अभियुक्त अखिलेश ने की है। शेष कंकाल की बरामदगी हेतु तलाशी अभियान जारी है। बरामद हिस्सो की जांच (डी.एन.ए) हेतु प्रयोगशाला भेजा जाएगा।

बरामदगी का विवरण :-

- मृतका प्रिया का मिनी स्कर्ट व कंकाल का कुछ हिस्सा बरामद।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम :-

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय शाहजहाँपुर
2. प्र0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर
3. अ0नि0 श्री अमित कुमार
4. उ0नि0 श्री सुनील कुमार
5. उ0नि0 श्री विक्रम कुमार
6. म0उ0नि0 सुश्री शैली
7. का0 रिंकू
8. का0 लवकुश शर्मा
9. का0 मनजीत कुमार
10. रि0 का ईशांत खेर
11. रि0का0 प्रशान्त
12. रि0 का0 अंकित कुमार
13. म0रि0 का0 आकांक्षा
14. म0रि0का0 शिवानी सिंह